प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 11 जनवरी, 2007

विषय :- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006 के प्रस्तर-10(3), (4) में प्राविधानित है कि समूह-'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल तथा समूह-'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

2. सम्यक् विचारोपरान्त, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह-'क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी, जिनके द्वारा एम.जी.ओ.के प्रस्तर-31 के प्राविधानानुसार अपने गृह जनपद में परिवर्तन करा लिया गया है, को परिवर्तन से पूर्व के गृह जनपद तथा परिवर्तन के उपरान्त के गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्या-1/3/96(1)का-4-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।